न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
तुलसीराम पुत्र हणमानराम कुमावत सीतापुर		उगमाराम पुत्र मुलाराम कुमावत वगैरह सीतापुर

राजस्व वाद = बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T.Act 1955

वाद–पत्र नम्बर 82/2022 GCMS No.2022/ 160

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.5.2022	वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53,188 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनॉक 20.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
20/6/2022	वकील वादी उपस्थित अधिनियम 1.27 की अन्तर्गत [illegible] Act उपस्थित [illegible] प्रस्तुत [illegible] 5.9.17/18 व 23 की [illegible] Act उपस्थित [illegible] प्रस्तुत [illegible] 26/8/22 को पेश हो	
13/8/2022	पत्रावली आज लोक अदालत में प्रस्तुत है। वकील वादी उपस्थित [illegible] कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य समझौता हो चुका है बाद आगे नहीं चलाना चाहते अतः वादी विड्रोल खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना स्वीकार किया जाता है बाद वादी वादिये विड्रोल खारिज किया जाता है पत्रावली नियम प्रकार लेखा शाखा के मद लेखा दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	